

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/पार्ट-I/अलेसे-II/ 1296

दिनांक :- 25.01.2024

आदेश संख्या:- 89/2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-मैट्रिक्स के लेवल एल-12 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II/ समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रथम ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्मल कुमार जैन	139/2011 9443	04.02.2013	04.02.2022	

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

- पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 - पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 - कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 - इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 - गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

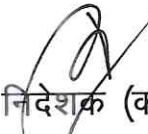
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/पार्ट-I/अलेसे-II/ 1296

दिनांक:- 25.01.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा।
- निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
- रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)